न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 115 / 2023

1 राजेन्द्र पुत्र भोलुराम उम्र साल जाति कुमावत निवासी ग्राम कैरपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.।

अपीलांटस

बनाम

1 बजरंग सिंह पुत्र कल्याण सिंह उम्र 65 साल जाति राजपूत निवासी कैरपुरा तहसील खण्डेला जिला सीकर राज.
2 भूमिधारी तहसीलदार खण्डेला।
3 राजस्थार सरकार जरिये जिला कलेक्टर महोदय, सीकर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला पीठासीन अधिकारी बृजेश कुमार उनवानी वजरंग सिंह बनाम भूमिधारी तहसीलदार प्रकरण संख्या 09 / 2023 में पारित निर्णय दिनांकित 05.10.2023 को निरस्त करवानें।

उपस्थिति :
1. श्री सुरेश कुमार सैनी, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री विद्याधर सुण्डा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 19/5/26

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा मुकदमा नम्बर 09/2023 में पारित निर्णय दिनांक 05.10.2023 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 94, 80, 92, 93 वाके ग्राम लालसर पटवार हल्का कैरपुरा तहसील खण्डेला का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 व धारा 96 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने विचारण न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि मेरी खातेदारी तथा कब्जे काश्त की भूमि खसरा नम्बर 94 रकबा 1.54 है. तन ग्राम लालसर पटवारी हल्का कैरपुरा तहसील खण्डेला में अवस्थित है तथा प्रार्थी की खातेदारी की भूमि के पश्चिम दिशा की ओर भूमि खसरा नम्बर 80, 92, 93 ग्राम लालसर पटवार हल्का कैरपुरा अवस्थित है जो सिवाय चक दर्ज है। इस भूमि खसरा नम्बर 94 रकबा 1.54 है. तन ग्राम लालसर पटवार हल्का कैरपरा तहसील खण्डेला में अवस्थित है, मैं प्रार्थी मकान बनाकर आबाद चला आ रहा है। प्रार्थी अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 80, 92, 93 ग्राम लालसर पटवार कैरपुरा की उत्तरी सीमा से सटाकर पश्चिम से पूरब की ओर आवागमन का रास्ता 27 फीट चौड़ा है, जिससे होकर प्रार्थी आवागमन करते है तथा रास्ता का उपयोग उपभोग करते है। अप्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि खसरा नम्बर 94 में से होकर नजरी नक्शा में वर्णितानुसार बजरंगलाल रंग से दर्शित रास्ता चला आ रहा है। जिससे होकर प्रार्थी कदीम आवागमन करते आ रहे है तथा अपने कृषि साधन ट्रेक्टर ट्रोली, जीप आदि लाते ले जाते आ रहे है उक्त रास्ता निकटतम ओर सरलतम है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थी के पास आने जाने का कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थी का उक्त आवागमन

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

का रास्ता राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में दर्ज नहीं होने से प्रार्थी का आवागमन में से महरूम होना पड़ रहा है। इसलिये उक्त रास्ता को राजस्व रिकार्ड व नक्शा ट्रेस में इन्द्राज करवाया जाना उचित और न्याय संगत है। विचारण न्यायालय ने बिना अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर दिये ही विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। खसरा नम्बर 85 के आधे भाग पर अपीलकर्ता कदीम से काबिज, काश्त है तथा इसके चारों तरफ पत्थर से पुख्ता डण्डा बनाया हुआ है। इसलिए बिना कब्जाधारी को सुने बगैर विचारण न्यायालय ने आदेश पारित किया है, जो निरस्त होने योग्य है। आवेदक/रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने न्यायालय में अपने आवेदन में अभिवचन किया है कि उसके खेत के रास्ता तो लगता है रास्ता भी चौड़ा व सरलतम है। जिसमें से सुगमता से आवागमन हो रहा है परन्तु राजस्व रिकार्ड में रास्ता का अंकन नहीं होने मात्र से धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 94, 80, 92, 93 वाके ग्राम लालसर पटवार हल्का कैरपुरा तहसील खण्डेला का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। तहसीलदार खण्डेला ने अपनी रिपोर्ट में प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने–जाने हेतु खसरा नम्बर 85, 80, 91, 92, 93 से प्रस्तावित रास्ता बताया है जो की रिपोर्ट के संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित किया गया है एवं कोई विपरित टिप्पणी अंकित नहीं की है। प्रार्थी को अपनी खातेदार भूमि में पहुंच हेतु रास्ता दिया जाना न्यायसंगत है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार नहीं है। अपीलान्ट के हित प्रभावित नहीं होते है। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब का दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। अपील धारा 5, धारा 96 व गुणावगुण तीनों पर खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक प्रार्थना पत्र अ. धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 94, 80, 92, 93 वाके ग्राम लालसर पटवार हल्का कैरपुरा तहसील खण्डेला का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया।

प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में खसरा नम्बर 85 रकबा 0.32 है. किस्म बंजर दोयम की खातेदारी राजस्थान सरकार के नाम दर्ज होना एवं इसमें से 0.0828 रकबा रास्ते हेतु प्रस्तावित किया जाना अंकित किया गया है। विचारण न्यायालय ने इस संदर्भ में मौके पर कब्जे की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है।

अपीलान्ट का कथन है कि खसरा नम्बर 85 के आधे भाग पर अपीलान्ट कदीम से काबिज काश्त है एवं चारो तरफ पत्थर से पुख्ता डंडा बना रखा है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया अपीलांट प्रभावित पक्षकार होना प्रकट है। विचारण न्यायालय ने कब्जे की रिपोर्ट प्राप्त किये बिना, अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट का जवाब प्राप्त कर, पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुसार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.06.2026 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 19/5/26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर